

अंश


बनाम

श्री पद्म

सम मुकदमा पत्थरगढी

२१७ सन्

तारीख हुकम	हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तामील में जारी हुए
२५/१/१९	<p>पत्रावली सीगड <b>दिलीप स्वयं</b> 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया। संक्षिप्त विवरण पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रार्थना किया कि मौजा <b>तिरडा</b> मण्डल <b>नेगडिया</b> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ... <b>३३३</b></p> <p>रकबा <b>१.५६७१</b> एकर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा अधीगण आराजी के पडौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे। पत्रावली पर उक्त राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नष्ट कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा: <b>तिरडा</b> पटवार मण्डल <b>नेगडिया</b> तहसील डूंगला आराजी नम्बर <b>३३३</b></p> <p><b>१.५६७०</b></p> <p>रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकममल तौर पर की जावें। पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <b>५/१/२०२०</b> तक न्यायालय हाजा प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली में। पत्रावली फौज सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
डूंगला